रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2005/ज्येष्ठ 13, 1927
No. 556] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2005/JYAISTHA 13, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2005

का.आ. 763 (अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात कि गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -8ए (विस्तार) के 11/239 कि.मी. (मेघपर जंक्शन) से 17/154 कि.मी. (नागलपर के निकट) तक के भूखण्ड पर अंजार बाइपास के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन इसके उपाबद्ध अनुसूची मे दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात, उप कलक्टर का कार्यालय, जिमखाना बिल्डिंग, स्टेडियम के सामने, अंजार-370110, जिला कच्छ, गुजरात राज्य को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार दिए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और उनका सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 8ए {विस्तार} के 11/239 कि. मी. {मेघपर जंक्शन} से 17/154 कि. मी. {नागलपर के निकट} तक पर अंजार बाईपास के संनिर्माण के भीतर आने वाली भूमि का संरचना सहित या संरचना रहित संक्षिप्त वर्णन ।

जिला : कच्छ

क्रम सं0	तहसील का नाम	गाँव का नाम	भूमि की प्रकृति	सर्वेक्षण सं0	भूमि का क्षेत्रफल {हेक्टर}
1	2	3	4	5	6
1	अंजार	मेघपर {कुम्भारदी}	निजी	157	1.0510
2			निजी	158	0.9755
3			सरकारी	163	0.1071
4		अंजार	निजी	686	0.8502
5			निजी	688	0.2504
6			निजी	694	0.1118
7			निजी	695	1.5875
8			निजी	696/1	0.5947
9			निजी	696/2	0.5184
10			निजी	697	0.7401
11			निजी	702	0.0100
12			निजी	703/1	0.3083
13			निजी	703/2	0.0935
14			सरकारी भूमि पटटे पर	984/35	0.0100
15			सरकारी भूमि पटटे पर	984	2.1693
16			निजी	984	0.4800
17			सरकारी भूमि पटटे पर	984/33	0.9500
18			सरकारी	1053	2.0250
19			सरकारी भूमि पटटे पर	1064	1.7911
20			सरकारी	984 और भाग	5.8913
21		नागलपर नानी	निजी	39	0.4280
22			निजी	45	0.4072
23		नागलपर मोती	निजी	59/1	0.5419
24			निजी	60/2	0.0991
25			निजी	60/3	0.5062
26			सरकारी	बंजर भूमि	3.1832
27			निजी	53	0.6180
28			निजी	54	0.4400
29			निजी	55/1	0.1632

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एन. एच.-12012/3/2000/एन.एच.-4(जी जे)]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2005

S.O. 763(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (I) of section 3 A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government after being satisfied for the public purpose the land, the brief description of which has been mentioned in Schedule annexed hereto is required for the construction of Anjar bypass on National Highway No.8A (Extension) from Km. 11/239 (Meghpar Junction) to Km. 17/154 (near Nagalpar) in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire the said land for the aforesaid purpose;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette object to the use of the said land for the aforesaid purpose, under sub-section (I) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely the Deputy Collector, Office of Deputy Collector, Gymkhana Building, Opposite stadium, Anjar-370110, District Kachchh, State of Gujarat in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objection;

Any order made by the competent authority under sub section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land with or without structure falling within the land of construction of Anjar bypass on National Highway No. 8A (Extension) from Km. 11/239 (Meghpar Junction) to Km. 17/154 (near Nagalpar) in the State of Gujarat.

DISTRICT : KACHCHH

Serial Number	Name of Tehsil	Name of Village	Type of Land	Survey No.	Area of Land (Hect.)
1	2	3	4	5	6
1	Anjar	Meghpar (Kumbhardi)	Private	157	1.0510
2.			Private	158	0.9755
3.			Government	163	0.1071
4.		Anjar	Private	686	0.8502
5.			Private	688	0.2504
6.			Private	694	0.1118
7.			Private	695	1.5875
8.			Private	696/1	0.5947
9.			Private	696/2	0.5184
10.			Private	697	0.7401
11.			Private	702	0.0100
12.			Private	703/1	0.3083
13.			Private	703/2	0.0935
14.			Government land on lease	984/35	0.0100
15.			Government land on lease	984	2.1693
16.			Private	984	0.4800
17.			Government land on lease	984/33	0.9500
18.			Government	1053	2.0250
19.			Government land on lease	1064	1.7911
20.			Government	984 and Parts	5.8913
21.		Nagalpar Nani	Private	39	0.4280
22.			Private	45	0.4072
23.		Nagalpar Moti	Private	59/1	0.5419
24.			Private	60/2	0.0991
25.			Private	60/3	0.5062
26.			Government	Waste land	3.1832
27.			Private	53	0.6180
28.			Private	54	0.4400
29.			Private	55/1	0.1632

[F. No. RW/NH-12012/3/2000/NH-4(GJ)]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.